न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 22/2019 दायर तारीख 25.01.2019

अनवान

01 संगीता पत्नि मनीष खुराना जाति पंजाबी उम्र बालिग निवासी सा0 लाल कोठी खोजा गेट बुन्दी तह0 एंव जिला बून्दी (राज0) हाल निवासी सी–1/708 मायफेयर टावर चार्मवुड विलेज इरोस गार्डन सुरजकुण्ड फरीदाबाद हरियाणा।

...........प्रार्थी

बनाम

01 भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)।

उपस्थित :–

श्री मुकेश कुमार धाकड़, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 02.05.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व विपक्षी पेश कर निवेदन किया की मुझ प्रार्थी की स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा में आराजी खसरा संख्या 401/25 रकबा 5–00 बीघा भूमि स्थित हैं। जिस पर आने जाने के लिए 20 फीट चौड़ा रास्ता जो कि विपक्षी की आराजी नम्बर 37 एंव 36 के दक्षिणी हिस्से मे पुर्व से पश्चिमी की तरफ जाकर आराजी नम्बर 36 के पश्चिमी सिरे से उत्तर की और जाकर आराजी नम्बर 32 मे प्रवेश कर आराजी नम्बर 32 के दक्षिणी पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे होता हुआ प्रार्थीया की आराजी नम्बर 401/25 मे जाता है। प्रार्थीया एंव उससे पूर्व के खातेदार कई वर्षो से निरन्तर उसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर अपनी आराजी मे प्रवेश कर अपनी आराजी पर काश्त करते आ रहे हैं। मौके पर वर्तमान मे उसी रास्ते का उपयोग किया जा रहा है। उक्त बिलानाम आराजी संख्या 32, 36, 37 मे स्थित रास्ता प्रार्थीया की आराजी को मुख्य रास्ते से जोड़ने हेतु सबसे संक्षिप्त (नजदीकी रास्ता) है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीया की आराजीयात मे आने जाने हेतु, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी ले जाने हेतु अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध नही हैं उक्त रास्ते को प्रार्थीया राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करवाना चाहती है। ताकि भविष्य मे प्रार्थीया की उक्त भूमि मे आने जाने के उक्त रास्ते को कोई अवरुद्ध ना कर सके।

प्रार्थीया विपक्षी की उक्त आराजीयात मे स्थित प्रकरण मे प्रस्तावित 20 फीट चौड़े रास्ते को रेकॉर्ड में दर्ज करने के बदले तय किया जाने वाले मुआवजे के भुगतान को तैयार हैं। उक्त आराजीयात पर जाने के लिए रास्ते को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलबी जरिय नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गयी।

प्रकरण में मात्र विपक्षी तहसीलदार ही पक्षकार हैं। अतः प्रकरण में मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलियां से तलब की गयी तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2019/521 दिनांक 10.04.2019 में अंकित किया कि ग्राम किशनपुरिया की आराजी संख्या 401/25 रकबा 5–00 बीघा भूमि मे आने जाने का प्रार्थी द्वारा चाहा गया 20 फीट चौडा रास्ता

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

विपक्षी की आराजी नम्बर 32, 36, 37 बिलानाम मे होकर जाता है। आराजी नम्बर 32 रकबा 6–17 बीघा भूमि के दक्षिण व पश्चिम मेड़ पर 72 गुणा 3 बराबर 216 यानि 0–11 बीघा, आराजी नम्बर 36 रकबा 4–14 बीघा भूमि के दक्षिण व पश्चिम मेड़ पर 100 गुणा 3 बराबर 300 यानि 0–15 बीघा एंव आराजी नम्बर 37 रकबा 2–06 बीघा भूमि के दक्षिणी मेड़ पर 58 गुणा 3 बराबर 174 यानि 0–13 बीघा कुल किता 3 रकबा 1–19 बीघा भूमि मे रास्ता होकर प्रार्थी की आराजी मे पहूंचता है।

प्रस्तावित रास्ता वर्तमान मे मौके पर 20 फिट चौड़ा रास्ता निकलेगा जिसका कुल रकबा 1–19 बीघा बनता है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि की भुमि की डी.एल.सी. 34970/– प्रति बीघा से भूमि की मालियत 68211/–रूपये का दुगुना से 136422/– राशि बनती हैं।

प्रकरण में बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी तहसीलदार की सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया उक्त प्रस्तावित रास्ता बिलानाम भूमि में से रास्ता दिये जाने में भूमिधारी तहसीलदार बिजौलिया ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में मौके पर दर्ज नही हैं।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थी को स्वयं की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम किशनपुरिया में स्थित आराजी नम्बर 401/25 रकबा 5–00 बीघा भूमि पर पहुंचने के लिए 20 फीट चौड़ा रास्ता विपक्षी की बिलानाम आराजी नम्बर 32 रकबा 6–17 बीघा भूमि के दक्षिण व पश्चिम मेड़ पर 72 गुणा 3 बराबर 216 यानि 0–11 बीघा, आराजी नम्बर 36 रकबा 4–14 बीघा भूमि के दक्षिण व पश्चिम मेड़ पर 100 गुणा 3 बराबर 300 यानि 0–15 बीघा एंव आराजी नम्बर 37 रकबा 2–06 बीघा भूमि के दक्षिणी मेड़ पर 58 गुणा 3 बराबर 174 यानि 0–13 बीघा कुल किता 3 रकबा 1–19 बीघा आराजी नम्बर 32, 36, 37 बिलानाम भूमि मे से होकर जाता है। उक्त प्रस्तावित 20 फीट चौड़े की भूमि रकबा 1–19 बीघा भूमि को राजस्व रेकॉर्ड में गै0मू0 रास्ता (रास्ता/पगडंडिया) अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. 34970/– प्रति बीघा से प्रस्तावित भूमि रकबा 1–19 बीघा की मालियत 68211/–रूपये बनती हैं जिसका दुगुना से 136422/– अक्षरे एक लाख छत्तीस हजार चार सौ बाईस रुपये बनती हैं। बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमान्तर्गत रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 02.05.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner